राजस्व लोक अदालत केम्प पाटोदी तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस 2018/01460
मुकदमा न0 151/2018

वादीनी :– 1 जगदीश पुत्र खीमाराम कुम्हार नि0 मेकाणियों की ढाणी, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. देदाराम पुत्र चुनाराम, वगैहरा कौम कुम्हार निवासी मेकाणियों की ढाणी, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर

88 आर.टी.ए दावा बाबत घोषणा

निर्णय दिनांकः–22.06.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत पाटोदी में प्रस्तुत की गई है।

वादी ने वाद पत्र में जाहिर किया कि ग्राम पाटोदी के ख0न0 4144/3760, 4146/3760 व मेकाणियों की ढाणी के ख0स0 2530, जामतनगर के ख0न0 2499 में वादी का नाम फौतगी म्यूटेशन दर्ज करते समय लिपिकीय त्रुटि से जगदीश के स्थान पर सांगाराम दर्ज हो गया, जबकि सरकारी दस्तावेज मे सही नाम जगदीश है। अतः अशुद्व नाम सांगाराम की जगह शुद्व नाम जगदीश पुत्र खीमाराम करने का निवेदन किया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व पटवारी पाटोदी/ आर.आई पाटोदी की संयुक्त रिपोर्ट व बयानकर्ता मूलाराम, मोहनराम, सजनी के ब्यानो का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम पाटोदी के ख0न0 4144/3760, 4146/3760 व मेकाणियों की ढाणी के ख0स0 2530, जामतनगर के ख0न0 2499 में वादी का नाम सांगाराम राजस्व रेकर्ड में अशुद्व नाम दर्ज है। जब कि अन्य सरकारी दस्तावेज में जगदीश पुत्र खीमाराम दर्ज है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पाटोदी के ख0न0 4144/3760, 4146/3760 व मेकाणियों की ढाणी के ख0स0 2530, जामतनगर के ख0न0 2499 में तहसीलदार पचपदरा वादी का नाम सांगाराम के स्थान पर जगदीश पुत्र खीमाराम नाम दर्ज करे।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफ्तर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......पाटोदी......

Scanned by CamScanner